संख्या:172/2015/494/35-4-2015

प्रेषक,

अबरार अहमद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 30 मार्च,2015

विषय : वर्ष 2014-15 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-171/2015/492/35-4-2015 दिनांक 30 मार्च,2015 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद प्रतापगढ़ में उक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा **कुण्डा खनवारी मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** के कार्य हेतु रू. 2354.58 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू. 941.83 लाख को समायोजित करते हुए रू. 723.72 लाख की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त की गई है। एतद्द्वारा उक्त शासनादेश से द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू. 723.72 लाख को रू. 723.716 लाख (रूपये सात करोड़ तेइस लाख इक्हत्तर हजार छः सौ मात्र) पढ़ा जाये। इस सीमा तक सन्दर्भित शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

2 उकत सन्दर्भित शासनादेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

संख्या:172/2015/494(1)/35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, इलाहाबाद ।
7- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
8- मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ।
9- वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रतापगढ़ ।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, प्रतापगढ़ ।

आज्ञा से ,

(अबरार अहमद)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in